कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 09.08.2026

थाना थरियांव पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी(लोडर) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वादी साहिल अली पुत्र इसरत हुसैन निवासी ग्राम आंबापुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर द्वारा थाना थरियांव पर तहरीर सूचना दी कि दिनांक 14.04.2026 की रात्रि अपने गांव में बने दूसरे मकान के कमरे में सात बकरी व बकरे बंद कर ताला लगाकर घर चले गये थे। देर रात अज्ञात चोरों द्वारा कमरे का ताला तोड़कर अन्दर से सात बकरी व बकरे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल नेतृत्व में थाना थरियांव पुलिस द्वारा दिनांक 08.08.2026 को मु0अ0सं0-085/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस की विवेचनामत्क कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.अरमान पुत्र मो0 राजू निवासी ग्राम जमरावां, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर, हाल पता लखनऊ बाईपास, अंग्रेजी ठेके के बगल में, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 18 वर्ष 2. दिनेश यादव उर्फ छोटू पुत्र रामसिंह यादव निवासी न्यू आरटीओ ऑफिस, मैकू का पुरवा, मजरे मूसेपुर, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की घटना प्रयुक्त छोटा हाथी लोडर(वाहन संख्या UP-71-T-8485) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक 09.08.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण अरमान पुत्र मो0 राजू एवं दिनेश यादव उर्फ छोटू पुत्र रामसिंह यादव से पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद फतेहपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूम-घूमकर बकरा-बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है। चोरी करने के लिए गिरोह के सदस्य दो पहिया एवं चार वाहनों का प्रयोग करते है। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी की गयी बकरा-बकरियों को ग्राम सौरा निवासी अमित सिंह के यहां एकत्र किया जाता था, जहां से अयूब नेता द्वारा उन्हें अन्य बाजारों में ले जाकर व्यापारियों को बेच दिया जाता था। पशुओं की बिक्री से प्राप्त धनराशि को गिरोह के सदस्यों में उनके हिस्से के अनुसार बांट लिया जाता है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में जनपद के थाना थरियांव, बिन्दकी, सुल्तानपुर घोष, हथगांव, किशनपुर, मलवां एवं खखरेरु क्षेत्र में हुई बकरा-बकरी चोरी की(कुल 09) विभिन्न घटनाओं में अपनी संलिप्तता बतायी गयी। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में गिरफ्तार मोहम्मद नूह उर्फ मेहमान एवं ताज अहमद उर्फ अमन भी इसी गिरोह के सदस्य हैं तथा उनके साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पूछताछ एवं विवेचना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण की संलिप्तता से संबंधित चोरी की घटनाओं के संबंध में साक्ष्यों का सत्यापन किया जा रहा है तथा प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों के कथन एवं विवेचना से प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर गिरोह के अन्य फरार सदस्यों मोहम्मद राज, रियासत उर्फ कबाड़ी, साहिल, अमित सिंह एवं अयूब नेता की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश एवं सुरागरसी-पतारसी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1.अरमान पुत्र मो0 राजू निवासी ग्राम जमरावां, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर,हाल पता लखनऊ बाईपास, अंग्रेजी ठेके के बगल में, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 18 वर्ष।
2.दिनेश यादव उर्फ छोटू पुत्र रामसिंह यादव निवासी न्यू आरटीओ ऑफिस, मैकू का पुरवा, मजरे मूसेपुर, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी(लोडर)
2. 4000/-रुपये नगद (गिरफ्तार अभियुक्तों की जामा तलाशी से)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त अरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 63/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर।
2.मु0अ0सं0 160/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर।

3.मु0अ0सं0 180/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर।
4.मु0अ0सं0 77/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0 91/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर।
6.मु0अ0सं0 115/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर।
7.मु0अ0सं0 154/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना किशनपुर, जनपद फतेहपुर।
8.मु0अ0सं0 81/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना मलवा, जनपद फतेहपुर।
9.मु0अ0सं0 142/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना खखरेरु, जनपद फतेहपुर।
10.मु0अ0स0 85/2026 धारा 331(4)/305/317(2)/317(4)/317(5)/61(2) BNS थाना थरियांव जनपद फतेहपुर
11.मु0अ0स0 200/25 धारा 303(2) BNS थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
12.मु0अ0स0 327/25 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर

अभियुक्त दिनेश यादव उर्फ छोटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 63/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर।
2.मु0अ0सं0 160/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर।
3.मु0अ0सं0 180/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर।
4.मु0अ0सं0 77/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0 91/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर।
6.मु0अ0सं0 115/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर।
7.मु0अ0सं0 154/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना किशनपुर, जनपद फतेहपुर।
8.मु0अ0सं0 81/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना मलवा, जनपद फतेहपुर।
9.मु0अ0सं0 142/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना खखरेरु, जनपद फतेहपुर।
10.मु0अ0स0 85/2026 धारा 331(4)/305/317(2)/317(4)/317(5)/61(2) BNS थाना थरियांव जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.व0उ0नि0 देवेन्द्र सिंह, थाना थरियांव जनपद फतेहपुर
2.उ0नि0 अशरफ अली
3.हे0का0 राजेन्द्र सोनकर
4.का0 अजय पटेल
5.का0 सोहित कुमार

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर